सवाल | पिछले 7 दिनों से पेयजल लाइन से घरों में आ रहा गंदा पानी

आखिर बारिश के समय ही खुदाई क्यों?

स्थानीयजनों ने जताया विरोध
महाराणा प्रताप वार्ड स्थित भूकंप कॉलोनी का मामला

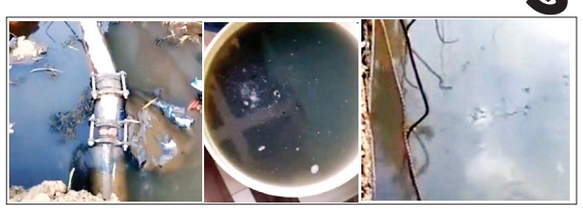

नवभारत,जबलपुर। साहब आप लोगों को हमेशा बारिश के समय ही क्यों खुदाई करने की सूझती है और कोई समय नहीं मिलता क्या... ये सवाल इन दिनों महाराणा प्रताप वार्ड की भूकंप कॉलोनी के हर एक रहवासी की जुबान पर नजर आ रहा है। इसकी मुख्य वजह नगर निगम के अमले द्वारा खुदाई कार्य मशीन के जरिए किया गया और पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हुई.. बस फिर क्या था लोगों के घरों में गंदा पेयजल आने लगा।

ये समस्या क्षेत्र में करीब 7 दिनों से आ रही है। स्थानीयजनों का स्पष्ट कहना है कि नगर निगम के जल विभाग व अन्य जिम्मेदारों को कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन अभी तक राहत का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। क्षेत्रीय रहवासियों का ये भी आरोप है कि नाली निर्माण कार्य के दौरान पेयजल पाइल लाइन को नाली के भीतर छोड़ दिया गया है। जो कि काफी चौंकाने वाला रहा है।

कुछ जिम्मेदार बचते नजर आए, किसी ने दिया जवाब

वहीं कार्यपालन यंत्री जल विभाग कमलेश श्रीवास्तव से नवभारत ने संपर्क करना चाहा तो वे अपना पक्ष देने से बचते नजर आए। जिसके बाद नवभारत से संभागीय अधिकारी से चर्चा की। चर्चा के दौरान गढ़ा जोन के संभागीय अधिकारी ने जो कहा उससे तो लगा कि जलप्लावन से निजात दिलाने खुदाई कार्य भूकंप कॉलोनी में किया जा रहा है लेकिन हकीकत में ये कार्य लोगों के लिए अब मुसीबत का सबब बन गया है।

इनका कहना है

इंदौर में दूषित पानी से हुई घटना जबलपुर में रिपीट न हो इसके लिए हम सभी कॉलोनी वासी चिंतित हैं। नगर निगम व पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदारों से मांग है कि पेयजल लाइन को बदला जाए।
बलराज सिंह
रहवासी

पेयजल लाइन से गंदा पानी आने के कारण घर के बच्चों व बुजुर्गों में संक्रामक बीमारी का खतरा बढ़ गया है। नगर निगम व पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही से पेयजल लाइन खुदाई के दौरान क्षतिग्रस्त कर दी गई है।
मधई यादव, रहवासी

इनका कहना है

भूकंप कॉलोनी में मुख्य समस्या जलप्लावन की है जिसके लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा अलग अलग जगह खुदाई करके पानी निकासी की व्यवस्था कराई जा रही है। ये काम सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है जिससे लोगों के घरों में बारिश के दौरान पानी न भरे। इसी दौरान कहीं अगर पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हुई है तो उसका सुधार कार्य कराया जाएगा।
कृष्णा रावत
संभागीय अधिकारी गढ़ा जोन

चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण रवैये पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

नवभारत, जबलपुर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व प्रवक्ता टीकाराम कोष्टा ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों की खरीद-फरोख्त में असफल होने पर केंद्रीय चुनाव आयोग की मदद ले रही है। उन्होंने कहा कि इसी के तहत कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उन्होंने एक केस की जानकारी छिपाई, जबकि तेलंगाना में जिस मामले का आरोप भाजपा लगा रही है उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग ने सत्ता पक्ष के इशारे पर बिना एफआईआर के फॉर्म कैसे निरस्त किया, जबकि पूर्व में ऐसी ही अधूरी जानकारी में पत्नी का नाम छुपाने वाले जनप्रतिनिधि आज देश के प्रमुख पदों पर हैं। टीकाराम कोष्टा ने कहा कि झारखंड में भाजपा प्रत्याशी परिमल के नामांकन में तीन गड़बड़ियां मिलने पर भी उसे सिर्फ होल्ड पर रखा गया, जो आयोग का पक्षपातपूर्ण रवैया है अलीम मंसूरी, रामदास यादव, डॉ. मोइन अंसारी, जगतमणि चतुर्वेदी, विजय अग्रवाल, अशोक यादव, सोमवारू कोल, संजू ठाकुर, शामिल रहे।

बताओ दोषी अधिकारियों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई?

कोर्ट का फैसला पलटने की कोशिश पर हाईकोर्ट सख्त

जबलपुर। न्यायिक आदेश को विभागीय फरमान के जरिए निष्प्रभावी बनाने के प्रयास पर हाईकोर्ट ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अधिकारियों के रवैये को गंभीरता से लिया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश कालीन युगलपीठ के जस्टिस जीएस अहलूवालिया एवं जस्टिस दीपक खोत ने एफसीआई से जवाब तलब किया है कि न्यायालय के आदेश को दरकिनार करने की कोशिश करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या ठोस कार्रवाई की गई है। युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि केवल कारण बताओ नोटिस जारी कर औपचारिकता निभाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि दोषी अधिकारियों की वास्तविक जवाबदेही तय होना चाहिए।

दरअसल मामला अर्जुन पटेल और अब्दुल खालिद दानिश के नियमितीकरण से जुड़ा है। दोनों कर्मचारियों के पक्ष में लेबर कोर्ट ने नियमितीकरण का आदेश दिया था। एफसीआई ने इस आदेश को चुनौती दी और मामला अंततः डिवीजन बेंच के समक्ष पहुंचा। सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि लेबर कोर्ट के आदेश को विधिक मंच पर तत्काल चुनौती देने के बजाय अधिकारियों ने विभागीय आदेश जारी कर उसके प्रभाव को निष्प्रभावी करने का प्रयास किया। बाद में जब लेबर कोर्ट में लंबित वसूली कार्यवाही रोकने का आवेदन और उसके विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका खारिज हो गई, तब अपील दायर की गई।

इस पर हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि किसी अधिकारी को न्यायालय के आदेश पर आपत्ति थी तो उसे कानूनन उपलब्ध मंच पर चुनौती दी जानी चाहिए थी। किसी प्रशासनिक आदेश के जरिए न्यायिक निर्णय को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास कानून के शासन पर सीधा प्रहार है और न्यायिक प्रक्रिया का उपहास भी। युगलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना संस्थान का दायित्व है। अधिकारियों की मनमानी न केवल अनावश्यक मुकदमेबाजी को जन्म देती है, बल्कि सार्वजनिक धन की बर्बादी और न्यायालयों के बहुमूल्य समय की क्षति का कारण भी बनती है। मामले में एफसीआई की ओर से कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए समय मांगे जाने पर न्यायालय ने तीन सप्ताह की मोहलत दी है। साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि अगली सुनवाई में यह देखा जाएगा कि न्यायिक आदेश को निष्प्रभावी बनाने की कोशिश करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध वास्तव में क्या कार्रवाई हुई और उनकी जवाबदेही किस सीमा तक तय की गई है।

बंधक बनाने का जिन पर है आरोप, उससे की शादी

- **हाईकोर्ट ने किया पिता के द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निराकरण**

जबलपुर। बेटी को बंधक बनाकर रखे जाने के खिलाफ पिता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई के दौरान उपस्थित हुई बेटी ने हाईकोर्ट जस्टिस जी एस अहलूवालिया तथा जस्टिस दीपक खोत की युगलपीठ को बताया कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाये गये है,उससे विवाह कर लिया है। युगलपीठ ने बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए याचिका का निराकरण कर दिया।

मउगंज जिले निवासी गोविंद कुशवाहा की तरफ से हाईकोर्ट में दायर की गयी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया था कि उसकी बेटी को शिव कुमार कुशवाहा नामक युवक ने बंधक बना रखा है। पुलिस उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है। याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने पुलिस को लापता युवती को पेश करने के आदेश जारी किये थे। हाईकोर्ट के आदेश का परिपालन करते हुए लौर पुलिस थाना पुलिस के द्वारा लापता युवती को पेश किया गया। युवती ने युगलपीठ को बताया कि उसकी उम्र 23 साल है और वह बालिग है। उसने बंधक बनाकर रखे जाने के आरोप को गलत बताया। उसने स्वेच्छा से शादी कर ली है और जिस व्यक्ति पर आरोप लगाये गये है वह उसका पति है। वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि महिला बालिग है, इसलिए उसे अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है। महिला ने स्वेच्छा से कहा है कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित महिला को उसके पति के साथ रहने दें।

तेज रफ्तार थार ने युवक को रौंदा, मौत

नवभारत,जबलपुर। बरगी थाना अंतर्गत अंतर्गत हाईवे पर बीती रात एक तेज रफ्तार महिन्द्रा थार के चालक ने सड़क पर टहल रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी चालक गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, संदीप उर्फ गुड्डू भूमिया बरगी में अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था। बीती रात में वह खाना खाने के बाद हाईवे की तरफ टहलने के लिए निकला था। रात करीब 9:15 बजे नागपुर की ओर से आ रही एक महिन्द्रा थार क्रमांक एमपी 34 जेड एफ 8204 के चालक ने अपने वाहन को अत्यधिक तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए संदीप को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि संदीप उछलकर सड़क पर जा गिरा, जिससे उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद आरोपी थार चालक ने कुछ सेकंड के लिए गाड़ी रोकी। इसके चालक मौके का फायदा उठाकर वाहन सहित भाग निकला। दुर्घटना होते ही हाईवे पर आने-जाने वाले राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से लहूलुहान संदीप को आनन-फानन में मेडिकल अस्पताल जबलपुर ले जाया गया। जहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

अतिक्रमण मुक्त हुआ इमरती तालाब

पंडा की मढ़िया से इमरती तालाब तक की गई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई

नवभारत,जबलपुर। नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पंडा की मढ़िया से लेकर इमरती तालाब तक के पूरे मार्ग और परिक्षेत्र को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करा दिया। निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार के निर्देशानुसार चलाई जा रही इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करना और जल स्रोतों के आसपास फैले अवैध कब्जों को हटाना है।

नगर निगम की इस कार्रवाई के दौरान छोटे व्यवसायियों के रोजगार का भी ध्यान रखा गया है, उन्हें कछपुरा हॉकर जोन में दुकानों को लगाने समझाइश दी गई। इस कार्रवाई से जहां एक ओर पंडा की मढिया से इमरती तालाब मार्ग पर राहगीरों और वाहन चालकों को जाम से मुक्ति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर दुकानदारों को भी व्यापार के लिए एक स्थायी और सुरक्षित स्थान मिल सकेगा।

जल स्रोतों का संरक्षण सर्वोपरि

निगमायुक्त ने कहा कि जल संरक्षण करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने ने आम नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील की है ताकि शहर को साफ, सुंदर और यातायात के लिहाज से सुरक्षित बनाया जा सके। कछपुरा हॉकर जोन में दुकानें शिफ्ट होने से क्षेत्र में एक व्यवस्थित बाजार का स्वरूप विकसित होगा।

2 प्रतिष्ठानों में संचालकों की सहमति से की गई तालाबंदी

अग्नि सुरक्षा और भवन नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई

नवभारत,जबलपुर। शहर में अग्नि सुरक्षा, भवन अनुज्ञा, सुरक्षित निकासी, लाइसेंस एवं जन-सुरक्षा संबंधी नियमों के पालन को लेकर नगर निगम द्वारा निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर लगातार निरीक्षण एवं कार्रवाई की जा रही है। गत दिवस शहर के तीन संस्थानों में गंभीर अनियमितताएँ पाए जाने पर सीलिंग की कार्रवाई के बाद बुधवार को दो अन्य प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान रवि प्लास्टिक, गलगला-सराफा रोड तथा अशोक एजेंसी, मुकादमगंज में अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा, सुरक्षित आवागमन मार्ग, भवन मानचित्र एवं ट्रेड लाइसेंस संबंधी गंभीर कमियाँ पाई गईं। अनियमितताओं को देखते हुए दोनों प्रतिष्ठानों में संचालकों की सहमति से मौके पर तालाबंदी कराई गई।

कुछ इस तरह मिलीं खामियां

निरीक्षण के दौरान रवि प्लास्टिक में भवन के भीतर अत्यधिक मात्रा में प्लास्टिक एवं अन्य ज्वलनशील सामग्रियों का भंडारण पाया गया। अग्निशमन विभाग की जांच में पाया गया कि भवन में सुरक्षित आवागमन एवं निकासी हेतु पर्याप्त मार्ग उपलब्ध नहीं था। भवन में केवल एक ही स्टेयर-केस उपलब्ध था, जिसमें भी प्लास्टिक सामग्रियों का भंडारण कर लिया गया था। ऐसी स्थिति में आग लगने अथवा धुआँ फैलने की स्थिति में भवन से सुरक्षित निकासी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती थी। इसी प्रकार अशोक एजेंसी, मुकादमगंज के निरीक्षण में भवन के भीतर कपूर, अगरबत्ती आदि अत्यधिक ज्वलनशील सामग्रियों का भारी मात्रा में भंडारण पाया गया। अग्निशमन विभाग द्वारा पाया गया कि भवन में सुरक्षित आवागमन हेतु पर्याप्त मार्ग उपलब्ध नहीं था। भवन में केवल एक ही स्टेयर-केस उपलब्ध था, जिसमें कपूर, अगरबत्ती एवं अन्य ज्वलनशील सामग्रियों का भंडारण कर लिया गया था। यह स्थिति आपातकालीन निकासी, राहत एवं अग्निशमन कार्यवाही की दृष्टि से अत्यंत जोखिमपूर्ण पाई गई। भवन शाखा द्वारा निरीक्षण के दौरान भवन का स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, किंतु भवन का नक्शा उपलब्ध नहीं कराया गया।

अमृत फेज़-2 के कार्यों को मिलेगी गति : निगमायुक्त

नवभारत,जबलपुर। शहर के विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए नगर निगम प्रतिबद्ध है। इसके लिए निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार के द्वारा लगातार प्रगति की समीक्षा की जा रही है। इस कड़ी में बुधवार को निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने अमृत फेज़ 2.0 के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता दोनों पर विशेष जोर देते हुए निर्माण

कंपनियों और ठेकेदारों को स्पष्ट और कड़े दिशा-निर्देश जारी किए।

निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार द्वारा समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि पाइपलाइन बिछाने के बाद प्रभावित हुई सड़कों के री-स्टोरेशन अर्थात सड़क मरम्मत के कार्यों को तेज गति से पूर्ण किया जाए, ताकि नागरिकों को आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके साथ ही, शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए दो उच्च स्तरीय पानी की टंकियों का निर्माण कार्य भी शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निगमायुक्त ने निर्देशित किया कि समय-सीमा के भीतर काम पूरा न होने और गुणवत्ता में किसी भी तरह का समझौता पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक में अशफाक परवेज कुरैशी अपर आयुक्त, कमलेश श्रीवास्तव अधीक्षण यंत्री,राजेश खंपरिया सहायक यंत्री अंकुर नाग व अन्य तकनीकी अधिकारी उपस्थित रहे।

डेडलाइन के आखिरी दिन तक इंतजार

- **ऑनलाइन व्यवस्था के बावजूद लोक सेवा केंद्रों में लंबा इंतजार, तय समय सीमा पर टिका आवेदकों का भरोसा**

नवभारत , जबलपुर। लोक सेवा केंद्र आम नागरिकों को आय, जाति, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, समग्र आईडी सुधार सहित कई सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का माध्यम हैं। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र सहित कई सेवाओं के लिए प्रतिदिन लगभग 100 से 200 आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। सहायक प्रबंधक के अनुसार आवेदनों का निपटारा निर्धारित समय-सीमा से करा जाता है और मैनुअल प्रक्रिया लगभग बहुत कम हो चुकी है।

ऑनलाइन व्यवस्था, फिर भी चक्कर लगाने की मजबूरी

डिजिटल प्रक्रिया होने के बावजूद कई लोगों को आवेदन की स्थिति जानने, दस्तावेज सुधारने और जानकारी लेने के लिए बार-बार लोक सेवा केंद्र पहुंचना पड़ता है। बार - बार चक्कर लगाते आम व्यक्ति परेशान होता है।

नागरिकों को करना पड़ता है इंतजार

सभी आवेदनों का निपटारा समय सीमा के अनुसार करने की बात कही जाती है, लेकिन कई आवेदक अंतिम तिथि तक आवेदन स्वीकृत होने का इंतजार करते हैं, जिससे आवश्यक कार्य प्रभावित होने की आशंका रहती है।

लोक सेवा केंद्र का उद्देश्य जनता को तेज और सरल सेवाएं देना है, लेकिन डिजिटल व्यवस्था तभी सफल मानी जाएगी जब आवेदन करने से लेकर प्रमाण पत्र मिलने तक नागरिकों को बिना अनावश्यक प्रतीक्षा और दौड़-भाग के सेवा प्राप्त हो सके।

किसान को लूटा

नवभारत,जबलपुर। पनागर थाना अंतर्गत मझौली बाईपास के पास बाइक सवार दो शातिर बदमाशों ने एक बुजुर्ग किसान को शिकार बनाया। बदमाशों ने पहले रास्ता पूछने के बहाने बुजुर्ग को रोका और फिर पलक झपकते ही उनकी जेब से मोबाइल पार कर रफूचक्कर हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, ग्राम लीटी निवासी 60 वर्षीय नरेंद्र श्रीवास्तव किसान हैं। वे बीती रात करीब 8:30 बजे पनागर बाजार से काम निपटाकर अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही वे मझौली बाईपास पर आरा मशीन के पास पहुंचे, पीछे से आए एक बाइक पर सवार दो युवकों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने उनसे खजरी खिरिया जाने का रास्ता पूछा। बुजुर्ग नरेंद्र अभी रास्ता बता ही रहे थे कि बाइक पर पीछे बैठे शातिर ने उनके कुर्ते की जेब पर झपट्टा मारा और 7,000 कीमती का मोबाइल छीन लिया।

प्रदर्शन | कांग्रेसियों ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ किया प्रदर्शन

नारी के हक पर भाजपा ने किया है कुठाराघात : घनघोरिया

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करने के बाद गरमाया मामला

नवभारत,जबलपुर। राज्यसभा सांसद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में बुधवार को जबलपुर तहसील कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांधीवादी तरीके से निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री व विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि भाजपा ने नारी के हकों पर कुठारा घात किया है, भाजपा सिर्फ नारी शक्तिकरण की बात करती है लेकिन हकीकत कुछ और है। इस दौरान कांग्रेस के नगर एवं ग्रामीण अध्यक्ष सौरभ शर्मा, संजय यादव सहित कई कार्यकर्ता धरने पर बैठे।

जानकारी के अनुसार धरने में विधायक और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने भाजपा पर तंज कसते हुए पार्टी की तुलना कचरे से भी की। और ये भी कहा कि हमारे प्रत्याशी की गांधीवादी विचारधारा है। उन्होंने अपना सारा जीवन महिला सशक्तिकरण पर लगा दिया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी चाहे कचरे में जितना भी अभ्रक (चांदी वर्क) लगा ले, कचरा मिठाई नहीं हो सकता है। जो है वह सबके सामने हैं और प्रदेश की पूरी जनता यह सब कारनामा देख रही है।

लोकतंत्र को कलंकित कर रही भाजपा

कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने विरोध प्रदर्शन के दौरान ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कलंकित करने में जुटी हुई है। संविधान की आज धज्जियां उड़ रहीं हैं। आज राजनीति की स्वस्थ परंपरा की अवहेलना की जा रही है। नियम, संविधान, कानून, परंपरा भारतीय जनता पार्टी यह सबको कुछ नहीं समझती है। उन्होंने ये भी दो टूक कहा कि कांग्रेस के पास एक राज्यसभा सांसद के लिए पर्याप्त बहुमत था। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास दो राज्यसभा सांसद के लिए विधायकों की संख्या थी।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57